

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
11/52/2021

रजिस्टर्ड नम्बर  
2021/193

प्रवेश तिथि  
08-10-2021

निर्णय दिनांक  
27-10-2022

01- बनारसीदास पुत्र स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामबास, तहसील मुण्डावर  
जिला अलवर। (राजस्थान) – अपीलान्ट

बनाम

01- मीरा पुत्री स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामबास, तहसील मुण्डावर जिला  
अलवर। (राजस्थान)

02- अनिता पुत्री हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामबास, तहसील मुण्डावर जिला  
अलवर। (राजस्थान)

03- तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

04- उप पंजियक मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

– असल रेस्पोजेण्ट

05- रमेश चन्द स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामबास, तहसील मुण्डावर जिला  
अलवर। (राजस्थान)

06- कैलाश चन्द स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामबास, तहसील मुण्डावर जिला  
अलवर। (राजस्थान)

07- मनोज स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामबास, तहसील मुण्डावर जिला  
अलवर। (राजस्थान)

– तरतीवी रेस्पोजेण्ट



अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक  
17.10.2013 नामान्तकरण संख्या 1242 वाके ग्राम  
भीवाडा तहसील मुण्डावर

उपस्थित:-

01-श्री रामेश्वर दयाल  
01-श्री परमानन्द मेहरा  
01-श्री अमर चन्द चौधरी  
01-श्री श्री दीपक मीना

–वकील अपीलान्ट  
–वकील रेस्पोजेण्ट संख्या –1, 2 व 6, 7  
–वकील रेस्पोजेण्ट संख्या – 5  
–राजकीय अभिभाषक –3 व 4

–:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 17.10.2013 नामान्तकरण संख्या 1242 वाके ग्राम भीवाडा तहसील मुण्डावर रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

2 - 2  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज.)

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी वहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 187 रकवा 1.73 है०, 188 रकवा 1.66 है०, 189 रकवा 1.90 है०, 190 रकवा 1.90 है०, 201 रकवा 2.74 है०, 202 रकवा 56 ऐयर, 203 रकवा 06 ऐयर, 204 रकवा 34 ऐयर व खसरा न० हाल 192 रकवा 1.58 है० वाके ग्राम भिवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है, वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार हरिसिंह पुत्र मूला जाति भीणा निवारी रागवास खातेदार था, तथा अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोंडेन्ट मृतक हरिसिंह के सगे पुत्र व विधिक वारिस है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मृतक हरिसिंह की लडकी है, जिनकी शादी हरिसिंह ने अपने जीवनकाल में ही करदी थी, जो शादी शुदा है। शादी होने के पश्चात से असल रेस्पोंडेन्ट का हक व हिस्सा पैत्रिक जमीन जायदाद में भीणा जाति की रिति रिवाजो के मुताबिक शादी शुदा लडकी का पिता की जायदाद में कोई हक व हिस्सा नहीं रहता है। जिस सूरत में असल रेस्पोंडेन्ट के हक में रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने विधि विरुद्ध नामान्तकरण मन्जूर किया गया है, भीणा जाति के रिति रिवाजो के मुताबिक पैत्रिक जमीन जायदाद में लडकी की शादी होने के उपरान्त लडकी का पैत्रिक जायदाद में हक व अधिकार खत्म हो जाते है, जिसका स्पष्ट रूप से आर.आर.टी. 2011 (2) राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा-2 उल्लेख किया गया है। जिस सूरत में असल रेस्पोंडेन्ट के हक में असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने विधि विरुद्ध नामान्तकरण मन्जूर किया है। अपीलान्ट ने हरिसिंह पुत्र मूला की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र व वारिस प्रमाण पत्र दिया तथा पटवारी हल्का को अवगत करवाया की भीणा जाति की रिति रिवाजो के मुताबिक पिता की जमीन जायदाद में शादी शुदा लडकी का कोई हक व अधिकार व हिस्सा नहीं रहता है, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से मिलकर विवादित नामान्तकरण विधि विरुद्ध दर्ज करवाया है। नामान्तकरण दर्ज करते समय मौके पर कब्जे की जाँच नहीं की गयी है, जबकि असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 का विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजी पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व काश्त नहीं है। दिनाक 31.10.2013 को मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की जानकारी लेनी चाही और राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो विवादित नामान्तकरण का ज्ञान हुआ जिस पर मिन अपीलान्ट ने विवादित नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को दिनाक 01.11.2013 को मौजिजा व्यक्तियों की मौजूदगी में निरस्त कराने के लिए कहा तो असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने हॉ करली और आज कल-2 करके टाल बाल करते रहे दिनाक 07.11.2013 को असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने सर्रेआम विवादित नामान्तकरण को निरस्त करवाने के लिए साफ इन्कार कर दिया और विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजी को विधि विरुद्ध नामान्तकरण व रिकार्ड की आड में दिगर लोगो को मुन्तकिल करने की धमकी दी तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 17.10.21013 विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल अपास्त किये जाने योग्य है, अपील अन्दर अवधि मियाद में पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पारित निर्णय में रेस्पोंड सं० 1 व 2 के हक में दर्ज कर स्वीकृत किया गया नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में आरआरटी 2014/ 2 पेज 901 से 903 तक एवं आरआरटी 2011/ 2 पेज 764 से 767 तक नजिरे पेश की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1242 वाके ग्राम भिवाडा तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी खातेदार हरिसिंह पि० मूला हि० मु० जा० भीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होने के कारण खातेदार हरिसिंह की मृत्यु उपरान्त वारिसान की जाँच कर मुताबिक शजरा वारिसान के नामान्तकरण दर्ज कर विणित किया गया है।

2  
 अतिरिक्त क्लर्क कलवाटर (सहायक)  
 अलवर (राज०)

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि नामान्तकरण संख्या 1242 वाके ग्राम भिवाडा तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी का मुताबिक शजरा वारिसान के नामान्तकरण दर्ज कर निणित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1242 वाके ग्राम भिवाडा तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी खातेदार हरिसिंह की मृत्यु उपरान्त वारिसान की जाँच कर मुताबिक शजरा वारिसान अपीलांट एवं रैस्प0 सं0 1 व 2 तथा तरतीबी रैस्प0 सं0 5 लगा0 7 के हक में नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा पेश नजिरे पूर्णतया अपील के समर्थन में चस्पा होती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का विवादित इंतकाल संख्या 1242 निर्णय दिनांक 17.10.2013 वाके ग्राम भिवाडा तहसील मुण्डावर को निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट के पिता श्री हरिसिंह पुत्र श्री मूला के विधिक वारिसान की जांच कर नियमों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उत्तम सिंह शेखावत)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)